न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2018

लादी आयु वर्ष पुत्री श्री सुवा जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थीयां

बनाम

1.गोपाल पुत्र श्री सुवा
2.बालू पुत्र श्री सुवा
तमाम जाति माली निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला–अजमेर
3.सीताराम पुत्र श्री देवीलाल जाट
4.बाबूलाल पुत्र श्री बालूमल जाति सिंधी
5.ठाकुरदास पुत्र श्री बालूमल जाति सिंधी
6.ज्ञानचंद पुत्र श्री सुजान मल जाति अग्रवाल
7.ज्ञानप्रकाश पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति टांक
तमाम निवासीगण केकड़ी जिला अजमेर।
8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
9.उप पंजीयन अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

---अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम

उपस्थित :– श्री सांवरलाल चौधरी – वकील प्रार्थी
श्री चेतन धाबाई – अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2
श्री राजेश शर्मा – अप्राथीगण संख्या 4 से 7

आदेश

दिनांक २२-११-२०१९

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयां ने एक वाद अंतर्गतधारा 88,89,188,53,209 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का पेश किया तथा उसकें साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 में निम्न वर्णित आराजीयात स्थित है ।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
473–425	4984	0.26	बारानी 2
	4985	0.50	
	4986	0.17	
	4984	0.30	
	4991	1.12	
	4992	0.03	
	5238	0.80	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

कुल	7	3.18	
474–426	4694	0.01	
	4695	0.90	
	4696	0.15	
कुल	3	1.06	

उक्त आराजी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित है, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की पुश्तैनी आराजीयात है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी फसली संवत् 1349 की जमाबंदी मे प्राथीयां के पड़नाना गौरू पुत्र काना माली के नाम दर्ज चली आ रही है। प्राथीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

गौरू पुत्र काना (फौत)

↓

ग्यारसी
पुत्री (फौत)

↓

नंदू पत्नि श्री सुवा
पुत्री (फौत)

↓

काना पुत्र (नाऔलाद)	गोपाल पुत्र	बालू पुत्र	लाडी पुत्री

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीयां का 1/3हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3हिस्सा है तथा प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नें अपने हिस्से की आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के बेचान कर दिया है तथा उक्त बेचान के संबंध मे राजस्व रेकार्ड मे भिन्न भिन्न दिनांको को अंकन हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीयां से कहा कि हमने हमारे हिस्से की आराजी को तो अन्य अप्रार्थीगण को बेचान कर दिया है अब हम तुम्हारे हिस्से की आराजी का बेचान करेंगे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पड़नाना गौरू पुत्र काना माली की खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीयां के नानी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य अधिकार मे चली आ रही थी जिनका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीयां के पड़नाना गौरू की मृत्यु के पश्चात उत वर्णित आराजीयात उनकी एक मात्र पुत्री ग्यारसी के नाम दर्ज हुई तथा तत्पश्चात प्रार्थीयां की माता श्रीमति नंदू पत्नि सुवा माली के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीयां बाई अडोप्सन ला बाई बर्थ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पड़नाना की सम्पति की हकदार हो चुकी थीं लेकिन प्रार्थीयां के पड़नाना एव ग्यारसी पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

गौरू की मृत्यु के बाद वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दी गई है। वर्णित आराजीयात जो प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी और संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसे प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है और बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है तथा उक्त वर्णित आराजीया तमे प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात का बॅटवारा नहीं होने के कारण आये दिन कब्जे काश्त मे मनमुटाव होता है तथा सरकारी योजनाओ का भी फायदा नहीं मिलता है इसलिए बंटवारा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। प्रार्थीयां ने दिनांक 23.12.17 को अप्रार्थीगण 1 व 2 को ऐसा नहीं करने बाबत् निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खुल्लम खुल्ला धमकियां दी कि हम तेरे को तेरे हक हिस्से की पुश्तैनी आराजीयात से वंचित करके रहेगे एवं जबरन बेदखल कर देगे अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादवर्णित पुश्तैनी आराजीयात मे से प्रार्थीयां के हिस्से की आराजीयात से प्रार्थीयां को बेदखल नहीं करे तथा न ही आराजी को रहन बेचान बक्षीस करे अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का बिना विधिक बॅटवारा हुए विक्रय पत्र वसीयत व अन्य हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीयां को अजहद क्षति होगी, जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन किया जाना संभव नही हो सकेगा। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब की प्रति वकील प्रार्थीयां को दिलवायी गयी। जवाब मे अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता सुवा पुत्र मंगला की आराजी नहीं है इसलिए पुश्तैनी होना अस्वीकार है। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र मे जो सजरा प्रस्तुत किया गया है जो अस्वीकार किये जजाने योग्य है प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का सजरा निम्न प्रकार हैः–

मंगला

लादु	केसरा	सुवा	चतर्भुज
(पुत्र फौत)	(पुत्र फौत)	(पुत्र फौत)	(पुत्र फौत)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

काना गोपाल बालू लादी पत्नि ग्यारसीलाल

(पुत्र ना.ओ.फौत) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्री)

गौरू पुत्र काना की लगभग 75 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गयी थी तब उसकी एक मात्र लड़की ग्यारसी ही थी प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जन्म भी नही हुआ था। वादवर्णित आराजी की एक मात्र मालिक ग्यारसी ही थी । वादवर्णित आराजीयात की एक मात्र खातेदार ग्यारसी पत्नि मांगीलाल पुत्री गौरू ने अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करवाला थी थी तथा ग्यारसी की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जरिये नामा0 करवा लिया गया थां इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हक मालिक व खातेदारी है। प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नहीं नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से 7 ने भी अपने अपने जवाब मे वादवर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्यां 1व 2 से जरिये रजिस्टर्ड कय करना जाहिर किया तथा प्रार्थीयां द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की। सभी अप्रार्थीगण द्धारा जवाब प्रस्तुत करने पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

प्रार्थीयां के विद्वान वकील श्री सांवरलाल चौधरी ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि आराजी वादवर्णित पुश्तैनी आराजीयात है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ साथ एवं तीनो का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा प्रत्येक का है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो से मिलीभगत करके अपने नाम करवा ली है तथा आराजी वादवर्णित को अन्य व्यक्तियों के नाम करवाना चाहते है अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे किवे वाद वर्भणित आराजी के प्रार्थीयां के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त,उपयोग,उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा ना ही प्रार्थीयां के हिस्से की आराजीयात को बेचान बक्षीस करे। व ना ही प्रार्थीयां के हिस्से की भूमि मे प्रार्थीयां के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नहीं करे यानि हर प्रकार से मनमुह व बाज रखा जावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 9 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे अप्रार्थीगण द्धारा उक्त आराजीयात के संबंध मे प्रस्तुत किये जाने वाले विकय पत्र बक्सीश दान पत्र इत्यादि का पंजीयन नहीं करे। प्रार्थीयां के पक्ष मान0 न्यायालय श्रीमान् द्धारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय रूप से दिनांक 11.01.18 को जारी की गई है उसे मूल वाद के निस्तारण तक निरंतर कर दिया जावे अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांन्त डी.एन.जे.(एस.सी. पेज़ 697से 717) पेश की। प्रत्युत्तर बहस मे अप्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री चेतन धाबाई व राजेश शर्मा ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर यह आराजी प्राप्त हुई है इसमे प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नहीं है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

मेरे द्धारा वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीर का ससम्मान अध्ययन किया

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

गया वादवर्णित आराजी मे हक अधिकार का प्रश्न दस्तावेजात व शहादत के आधार पर मूल वाद मे तय होगा इस न्यायालय को अभी केवल यह देखना है कि प्रार्थीयां–अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञ प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं?

1.प्रथम दृष्टया केसः– ग्राम केकड़ी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जमाबंदी संवत् 2069–72 के अनुसार आराजी वादवर्णित मे प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टियां केस साबित नहीं होता है।

2.सुविधा का संतुलन–अप्रार्थीगण आराजी वादवर्णित के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीयां अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीयां के पक्ष मे नहीं पाया जाता है।

3.अपूर्णनीय क्षतिः–प्रार्थीयां,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार नहीं है। तथा अपना कब्जा काश्त साबित करने के लिए भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने मे सफल नहीं हुई है। ऐसी स्थिति प्रार्थीयां को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने के फलस्वरूप अपूर्णनीय क्षति किस प्रकार हो सकती है सिद्ध नहीं कर पायी है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीयां अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु प्रार्थीयां अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल नहीं हुई है अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदार नोकर चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीयां के हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुॅचाने, बेचान बक्षीस करने व विक्रय पत्र पंजीयन करवाने से रोकने बाबत् प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: